—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 09/2025

उनवान

शालिनी चंदेल पत्नी मनमोहन जाति खटीक निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिक्ता श्री शांति प्रकाश शर्मा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. भागचन्द पुत्र रामेदव जाति खटीक, निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद हाल निवासी पुलिस थाने के पीछे, गणेशगंज, सरवाड, अजमेर।

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें राज. पैरोकार, 2 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 17.7.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 10034/4254 रकबा 0.4740 प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 4189 सडक से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खसरा नम्बर 10036/4254 का उपयोग करते है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक माग्र नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 20 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 10034/4254 रकबा 0.4740 प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ही कय की है। हाल खसरा नम्बर 10036/4254 रकबा 1.0854 सिवायचक खातें में अंकित है। खसरा नम्बर 4189 रकबा 0.72 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम सडक के रूप में दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 10034/4254 के लिये मोके पर 10036/4254 में से लघुतम मार्ग हैं। रास्ता सिवायचक खसरा नम्बर 10036/42564 में से होकर जा रहा है, जिस पर चारदीवारी व लोहे का गेट लगा है। अन्य काई वैकल्पिक मार्ग नही है। साथ ही मार्ग के लिये अनुशंषा [illegible] अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास स्वयं की कृषि भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई [illegible] मार्ग उपलब्ध नही है। प्रस्तावित मार्ग लघुतम है। चाहे गये मार्ग [illegible] सिद्ध होती है। तहसीलदार नसीराबाद ने अपनी मौका रिपोर्ट में 9.14 [illegible] फिट मार्ग प्रस्तावित [illegible] किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:08 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में 20 फिट चौडा मार्ग ही चाहा है, साथ ही कृषि कार्य के लिये 20 फिट चाडैा रास्ता पर्याप्त है। मौका रिपोर्ट मे कोई विपरित तथ्य प्रकट नही हुये है। अप्रार्थी संख्या 1प्रकरण में अनुपस्थित रहा है। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट से रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। अतः प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसारः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा 10036/4254 रकबा 1.0854 में से 67.98 वर्ग मीटर (11 मीटर लम्बा व 6.18 मीटर चौडा) रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले खातेदार को 22433/रूपये अक्षरे बाईस हजार चार सौ तेतीस रूपये भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:08 IST
Reason: SelfAttested